

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान केन्द्र सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से चलाइ जा रही अत्यंत ही महत्वपूर्ण और लोकप्रिय योजना की खामियों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

अध्यक्ष जी, पिछड़े प्रांतों के सुदूर ग्रामीण इलाकों में जन-सामान्य की सुविधा एवं बेहतर सड़क सम्पर्कों के उद्देश्य से चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना का सही लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसा देखा जा रहा है कि धन की कमी के कारण एक तरफ जहां कार्य प्रगति की गति धीमी है वहीं दूसरी ओर किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। संयुक्त रूप से इस कार्य में लगी केन्द्रीय एजेंसी इकोन तथा राज्य सरकार का ग्रामीण विकास विभाग, जिस पर इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन का दायित्व है, अपनी जिम्मेदारी के सम्यक निर्वहन में सक्षम नहीं है। हालत यह है कि स्थानीय सांसद जो कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अध्यक्ष होते हैं तथा विजिलेंस मोनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, उनकी शिकायतों पर न तो यह एजेन्सियां गौर करती हैं और न तो धीमी कार्य प्रगति का कोई समुचित कारण इनके पास है, जिससे इस योजना का समुचित लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल पा रहा है।

इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इस योजना के अंतर्गत बनी सड़कों को जोड़ने हेतु छोटे-छोटे पुलों का निर्माण भी इसी योजना से कराये जाने की आवश्यकता है क्योंकि कई स्थानों पर छोटे-मोटे पुलों के अभाव में इस योजना से निर्मित सड़कों को आपसी सम्पर्क समाप्त हो जाता है और इन सड़कों का लाभ छोटे नदी-नालों के दोनों ओर बसने वाली ग्रामीण आबादी को नहीं मिल पाता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण की जानकारी समय-समय पर स्थानीय सांसदों को दी जाये तथा इस योजना के तहत सड़कों के निर्माण में स्थानीय सांसदों से उनकी राय भी ली जाये।